WELCOME

Flood Action Plan: Mitigation & all Phases of Response

By :

Umesh Chandra Joshi

National Facilitator, Leadership Skill Development Programme

Master Trainer, DoPT, Govt. of India

भारत में आपदा प्रबन्धन की संस्थागत संरचना

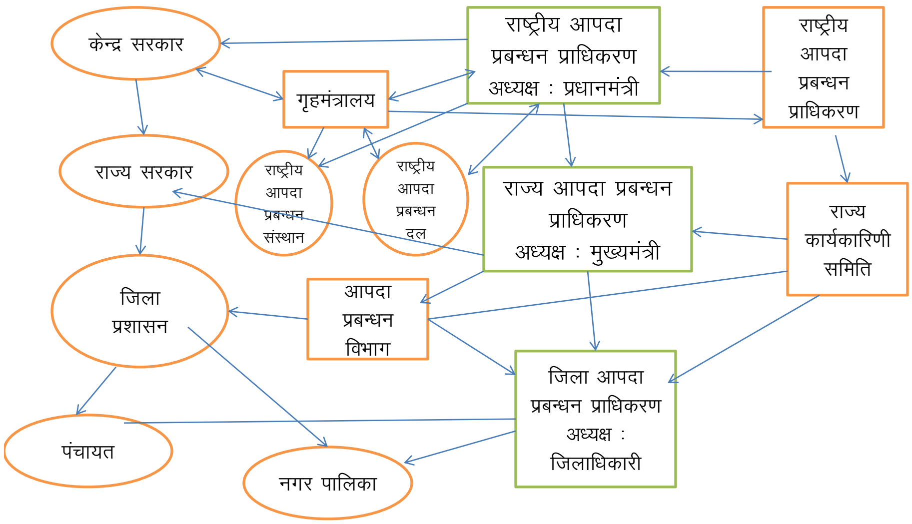

Disaster Management Cycle

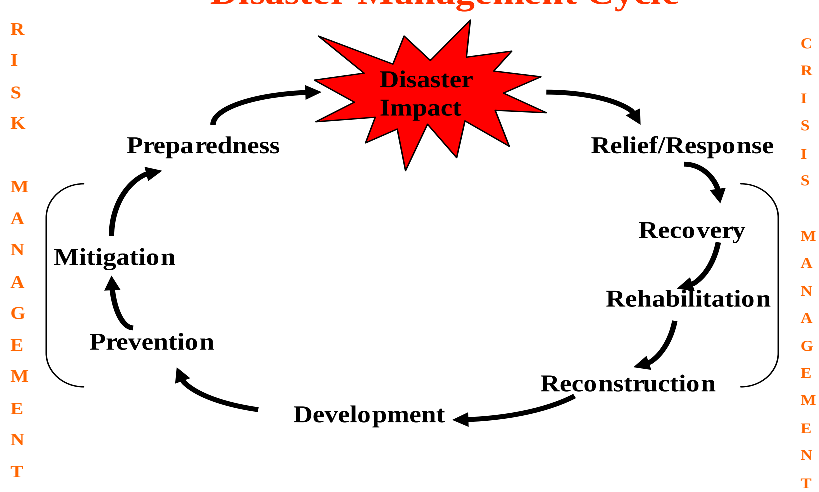

Preparedness

- **Measures to ensure that communities and services are capable of coping with the effect of disasters.**
- **Preparedness can be carried out by the following ways:**
  - **Community awareness and education**
  - **Preparation of the Disaster Management Plans**
  - **Mock Drills, Trainings and Practice**
  - **Developing proper warning system**
  - **Mutual Aid Arrangement**
  - **Identifying the vulnerable groups**

Response

- Measures taken in anticipation of, during and immediately after a disaster to ensure that the effects are minimized.
  - **Activate the Control Room**
  - **Implementation of the disaster Management Plan**
  - **Setting up of Community Kitchen and Medical Camps**
  - **Mobilizing resources and Aid**
  - **Providing temporary shelters**
  - **Deployment of Search and Rescue Teams**
  - **Issuing updated warning**

Recovery

- **Measures which support emergency and help the affected communities in the reconstruction of the physical infrastructure and re construction of economic and emotional well being.**
  - **Awaring the community on Health and Safety measures**
  - **Counseling programme for those who have lost their near and dear ones**
  - **Restoring the essential services**
  - **Providing shelter**
  - **Providing financial support to restore livelihood**
  - **Finding employment opportunities**

7

Prevention:

- **Measures to eliminate or reduce the incidence of severity of emergencies/disasters.**
  - **Land Use Planning**
  - **Preventing habitation in risk zones**
  - **Construction of disaster resistant structures like cyclone shelters, embankments etc.**
  - **Community awareness and education**

8

Mitigation

- It involves long term measures to reduce the effects of disaster causing phenomena. It includes building disaster resistant houses, aforestation, rejuvenation of mangroves, plantation on the river banks.

Mitigation Involves:

- ***Structural Measures:***
    - Engineered Structures
- ***Non- Structural Measures***
    - Land Use Planning
    - Training and Education
    - Public Awareness
    - Techno legal Frameworks – Building codes and bylaws
    - Incentives and Financial Frameworks – Government grants for FFW programmes, Insurance etc.

Importance of Community

- Community- First Responder
- **Community- Ultimate sufferer**
- **To prevent hazards from becoming disasters**
- **To minimize human suffering, socio - economic and environmental loss by reducing vulnerabilities and risk**
- **To hasten post – event recovery**
- **To make community-at-risk disaster resilient**
- **Better preparedness leads to better response from Govt., community and people**.

Disaster Management in our Country

- Min. of Home affairs, GOI is the nodal agency for DM except drought.
- National Disaster Management Authority (NDMA)
- Min of Agriculture looks after drought.
- States – Depts. Of DM- Relief Commissioners
- State Disaster Management Authority (SDMA)
- Districts Disaster Management Authority (DDMA) headed by District Magistrate

बाढ़

UTTAR PRADESH FLOOD ZONE
Muzaffarnagar
Meerut
Bijnor
Etah
Hardoi
Sitapur
Kheri
Jalaun
Lalitpur
Mirzapur
Chandauli
Sonbhadra
Flood zone

Flood Managment Information System Centre
Irrigation & Water Resource Department,Uttar Pradesh
Yamuna River
HARYANA
UTTRAKHAND
Ganga River
Ramganga River
YAMUNA BASIN
RAMGANGA BASIN
Sharda River
NEPAL
Gomti River
GOMTI BASIN
Ghaghra River
DELHI
GHAGHRA BASIN
GANGA BASIN
RAPTI BASIN
Rapti River
GANDAK BASIN
Great Gandak River
RAJASTHAN
Chambal River
MADHYA PRADESH
Sindh River
Pahuj River
Little Gandak River
Ganga River
BIHAR
Son River
Ken River
Tons River
SON BASIN
Betwa River
MADHYA PRADESH
JHARKHAND
Legend
River
Yamuna Basin
Ganga Basin
Ramganga Basin
Gomti Basin
Ghaghra Basin
Rapti Basin
Gandak Basin
Son Basin

बाढ़

- बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई निश्चित भूक्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाता है और जन–जीवन प्रभावित हो जाता है।

बाढ़ के प्रकार

- स्थानीय या नदी बाढ़
- तटीय बाढ़ या तूफान लहर बाढ़
- स्थानीय जलभराव जनित बाढ़
- नगरीय बाढ़

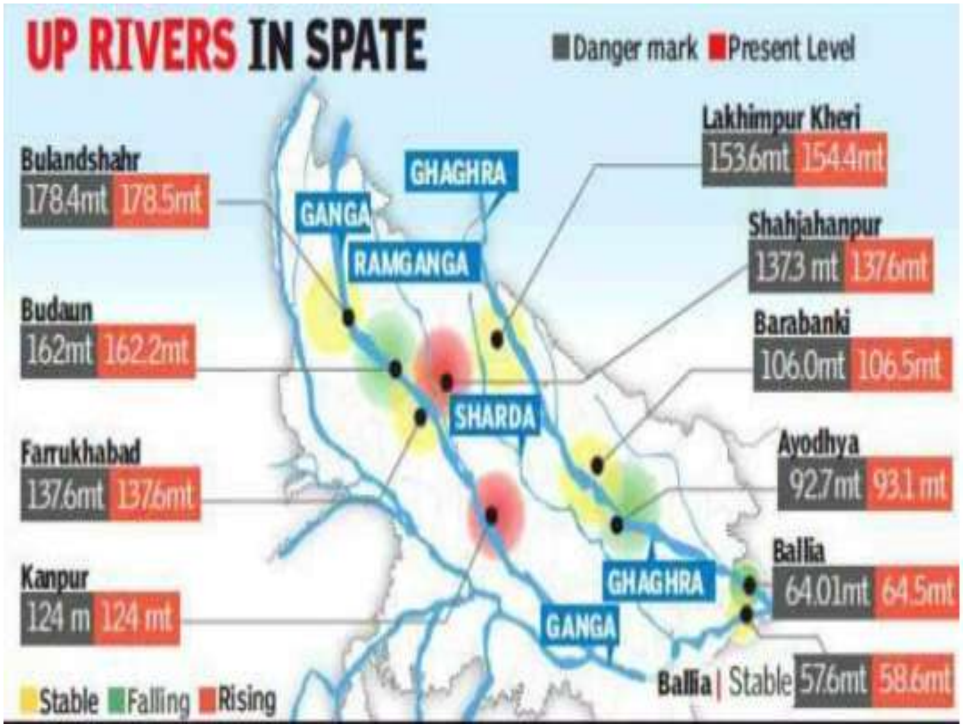

Planning

- Planning is the fundamental management function, which involves **deciding beforehand**,
- what is to be done,
- when is it to be done,
- how it is to be done
- and who is going to do it.

Planning

- Planning is defined as setting an objective for a given time period, developing various strategies or methods to attain them, and then selecting the best possible alternatives from the various methods available.

बाढ़ पूर्व तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्री–मानसून समन्वय तंत्र

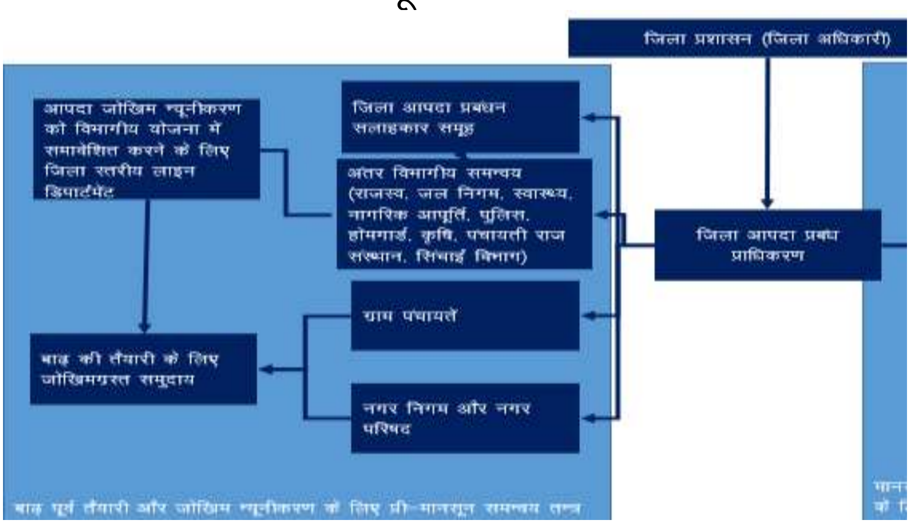

मानसून के दौरान बाढ़ प्रतिक्रिया, बहाली, पुर्नवास और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए समन्वय तंत्र

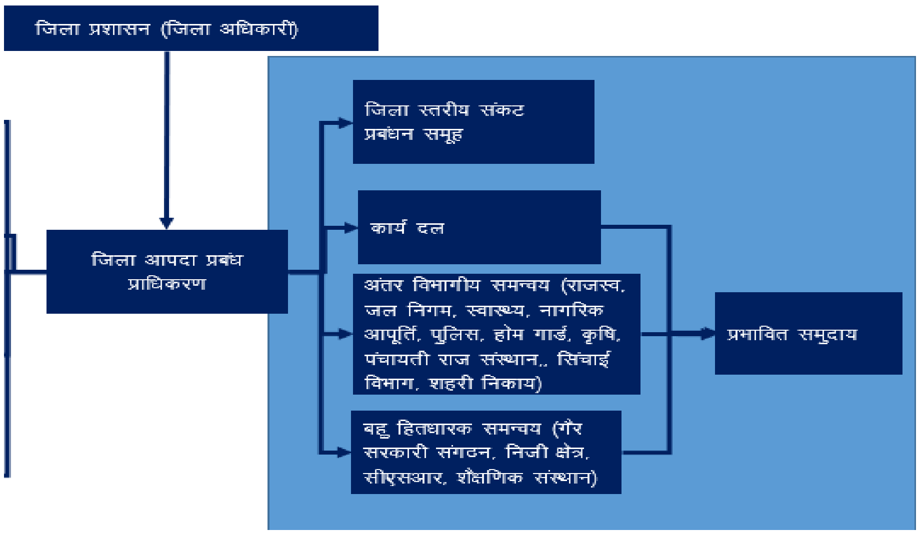

बाढ़ प्रतिक्रिया से संबंधित जिला स्तर पर एजेन्सियाँ/संस्थाएं

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
- राजस्व विभाग
- कृषि विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- सिंचाई विभाग
- पशुपालन विभाग
- जल निगम

बाढ़ प्रतिक्रिया से संबंधित जिला स्तर पर एजेन्सियाँ/संस्थाएं

- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
- पंचायती राज/ग्रामीण विकास विभाग
- अग्नि शमन विभाग
- शिक्षा विभाग
- महिला एवं बाल विकास विभाग
- स्वैच्छिक संगठन

बाढ़ जोखिम, संवेदनशीलता क्षमता के विशेष सन्दर्भ में बाढ़ जोखिम विश्लेषण

- जन–समुदाय की संवेदनशीलता, क्षमता, अवसंरचना और सेवाओं के आधार पर जोखिम रैंकिंग करना
- बाढ़ जोखिम क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना। जहां भी संभव हो जीआईएस मानचित्र की मदद लेना
- लोगों के जीवन, सेहत, अवसंरचना और सेवाओं को होने वाले संभावित प्रमुख जोखिमों की पहचान करना

बाढ़ तैयारी योजना

जिला अपदा प्रबंध योजना के अन्तर्गत बाढ़ की तैयारी योजना का निर्माण, बाढ़ जोखिम विश्लेषण के आधार पर तथा लाइन डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष से परामर्श करके किया जायेगा।

बाढ़ की तैयारी योजना में तैयारी के कम में किये जाने वाले कार्य, उनकी समय–सीमा, जिम्मेदारी और समन्वय तंत्र शामिल होंगे।

बाढ़ प्रतिक्रिया योजना

जिला अपदा प्रबंध योजना के अन्तर्गत बाढ़ की प्रतिक्रिया योजना का निर्माण सबसे खराब स्थिति को ध्यान में रखकर और बाढ़ जोखिम विश्लेषण के आधार पर लाइन डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष से परामर्श करके किया जायेगा।

बाढ़ की प्रतिक्रिया योजना में बाढ़ के दौरान प्रत्येक विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, जिम्मेदारी और समन्वय तंत्र शामिल होंगे।

आपदा प्रबन्धन समिति एवं कार्यदलों का गठन

- प्राथमिक उपचार पेयजल एवं स्वच्छता कार्यदल
- पूर्व चेतावनी कार्यदल
- खोजी एवं बचाव कार्यदल
- अस्थाई शरणस्थल प्रबंधन कार्यदल
- सहायता वितरण कार्यदल
- क्षति आकलन कार्यदल

ग्राम पंचायत स्तर पर समुदाय आधारित बाढ़ में प्रतिक्रिया हेतु समुदाय द्वारा किये जाने वाले कार्य

जन–जागरूकता

ग्राम स्तर पर सार्वजनिक बैठक, ग्राम सभा की बैठक, स्कूल सत्र और स्वयं सहायता समूह की बैठक आयोजित कर निम्नलिखित पर चर्चा करना:–

- बाढ़ के दौरान क्या करें और क्या ना करें।
- बाढ़ के दौरान वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की आवश्यकता हेतु सामुदायिक सहयोग।
- मानसून और बाढ़ के दौरान जल जनित रोगों से बचाव के लिए स्वच्छता उपाय
- परिवार स्तर पर सुरक्षा किट तैयार करना।

ग्राम स्तर पर टास्क फोर्स का गठन और क्षमतावर्धन

टास्क फोर्स का गठन और क्षमता वर्धन

सामुदायिक स्तर पर कार्य दलों का गठन और उन्हें निम्नलिखित विषय पर प्रशिक्षित करना:–

- पूर्व चेतावनी के प्रचार–प्रसार और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय।
- सुरक्षित निकासी, खोज एवं बचाव।
- बाढ़ के दौरान घायलों के इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सा।
- आश्रय प्रबंधन जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर प्रभावित परिवार को अस्थायी विस्थापन के दौरान आश्रय और आवश्यक सुविधाएं मिल सकें।

ग्राम स्तर पर मॉकड्रिल किया जाना

मॉक ड्रिल

सामुदायिक स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन करना जिससे समुदाय की निम्नलिखित बिन्दुओं पर पर्याप्त क्षमता को सुनिश्चित किया जा सके:

- पूर्व चेतावनी का समय पर प्रचार प्रसार
- लोगों का सुरक्षित निकास
- प्राथमिक चिकित्सा कौशल
- आश्रय प्रबंधन
- मवेशियों का सुरक्षित निकास और उनका प्रबंधन

राजस्व विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य

- क्षमता निर्माण
- उपकरण
- अस्थायी शिविर स्थल की पहचान
- पूर्व तैयारी
- नियत्रंण कक्ष की स्थापना

क्षमता निर्माण	फ्रंटलाइन वर्कर्स, तहसीलदारों, पंचायतीराज संस्थान और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की सुरक्षित निकासी, आश्रय प्रबंधन के न्यूनतम मानकों पर सोशल डिस्टेंसिंग के मानक को ध्यान में रखकर क्षमता निर्माण करना
उपकरण	ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त बचाव उपकरणों जैसे कि लाइफ–जैकेट, रस्सियां, ट्यूब, टॉर्च लाइट, मेगा–फोन के साथ–साथ वाहनों, जेसीबी, क्रेन्स और नौकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
अस्थायी शिविर स्थल की पहचान करना	अस्थायी शिविरों की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान करना एवं एनडीएमए के आवश्यक मानकों के अनुसार भोजन, पेयजल और स्वच्छता के लिए पर्याप्त सुविधा करना।

पूर्व तैयारी	ब्लॉक स्तर पर सूखे भोजन की तैयारी, तैयार खाना और तिरपाल के पर्याप्त स्टॉक को सुनिश्चित करना।
नियंत्रण कक्ष	जिला और ब्लॉक स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना जहां नियमित बिजली आपूर्ति, टेलीविजन, इंटरनेट और कंप्यूटर की सुविधा के साथ–साथ नियंत्रण कक्ष के प्रबंधन व 24X7 काम करने के लिये से कम छह प्रशिक्षित अधिकारी उपलब्ध हों।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्य
बहु–विभागीय समन्वय

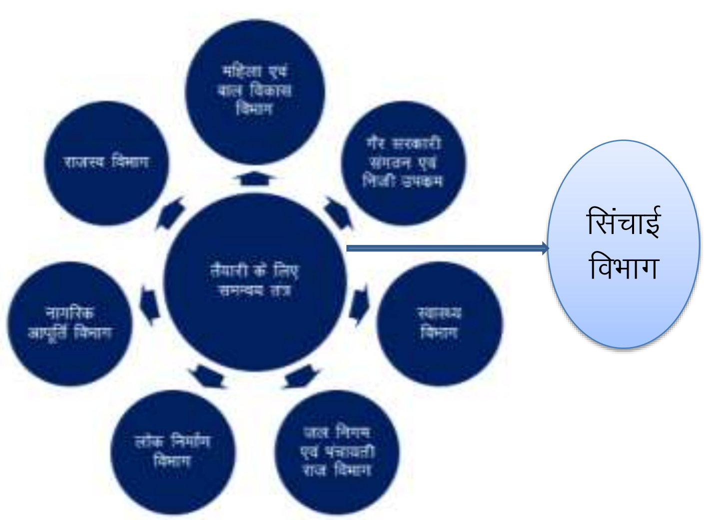

बहु–विभागीय समन्वय

• जिला मुख्यालय पर तैयार खाना, सूखे भोजन का पर्याप्त भंडारण तथा पर तिरपाल का स्टॉक सुनिश्चित करना।

• मानक के अनुसार पीएचसी एवं सीएचसी स्तर पर दवाओं, क्लोरीनी की गोली का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करना।

• पर्याप्त संख्या में नावों और प्रशिक्षित नाविकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

बहु–विभागीय समन्वय

• अस्थायी शिविरों की स्थापना करना जिसमें पर्याप्त पानी, और स्वच्छता सुविधा उपलब्ध होने के साथ–साथ भोजन की आपूर्ति के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो।

• यह सुनिश्चित करना कि जिला और ब्लॉक स्तर के नियंत्रण कक्षों में पर्याप्त संख्या में स्टाफ और उपकरण मौजूद हैं।

• यह सुनिश्चित करना कि मलबे, गिरे हुए पेड़ों और सड़कों को साफ करने के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन, जे0सी0बी0 / केन उपलब्धता हैं।

• राहत शिविरों के प्रबंधन के लिए गैर सरकारी संगठनों और निजी उपक्रमों के साथ समन्वय सुनिश्चित करना।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण और जिला प्रशासन की बाढ़ प्रतिक्रिया में भूमिका

पूर्व चेतावनी के प्रचार–प्रसार हेतु समन्वय	वर्षा का रिकार्ड रखना, जल स्तर के बढ़ने पर निगरानी रखना और संभावित बाढ़ क्षेत्रों की पहचान करके प्रारंभिक चेतावनी का प्रसार करना, जिला नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय में समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी और इंटरनेट आधारित मीडिया के माध्यम से बाढ़ की चेतावनी जारी करना।
समय पर और सुरक्षित निकासी हेतु समन्वय	ऊपरी क्षेत्र में वर्षा एवं बांधों और बैराज से पानी छोड़े जाने के आधार पर बाढ़ का पूर्वानुमान करना, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), स्थानीय प्रशिक्षित नाविक, समुदाय आधारित कार्य दलों और पुलिस बल के साथ समन्वय में निकासी शुरू करना।
अस्थायी शिविर हेतु समन्वय	राजस्व, होम गार्ड, पुलिस, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और जल निगम विभाग के साथ समन्वय में एनडीएमए के न्यूनतम मानकों के अनुसार और COVID 19 की रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए अस्थायी आश्रय शिविरों का प्रबंधन करना।

बहु हितधारकों में समन्वय	राहत और प्रतिक्रिया के प्रति बहु हितधारकों के समन्वय को सक्रिय करना जिसमे पुलिस, होमगार्ड, नागरिक आपूर्ति, जल निगम के साथ निजी उपक्रम जिनमें एनजीओ, सीएसआर आदि शामिल हों।
क्षति आंकलन हेतु समन्वय	राजस्व विभाग के समन्वय में राज्य सरकार के मानकों के अनुसार क्षति का आंकलन करना।

बाढ़ के बाद की प्रतिक्रिया और त्वरित रिकवरी हेतु बहु–विभागीय प्रबन्धन

मुख्य कार्य		विभाग
1	प्रभावित आबादी को शिविरों से गांवों में लौटने में सहायता प्रदान करना	परिवहन
2	पानी निकलने के बाद मलबा, ठोस कचरा और जानवरों के शवों का निस्तारण करना	पंचायती राज
3	गांवों में हैंड पंपों सहित सभी जल स्रोतों का क्लोरीनीकरण सुनिश्चित करना	जल निगम (पीएचईडी) और पंचायती राज
4	क्षतिग्रस्त जलापूर्ति अवसंरचना की मरम्मत जिसमें हैंड पंप भी शामिल हों	जल निगम (पीएचईडी) और पंचायती राज
5	बाढ़ ग्रसित शौचालय टैंकों को खाली करना और मलमूत्र का निकास करना	स्वच्छ भारत मिशन और पंचायती राज

त्वरित रिकवरी हेतु बहु–विभागीय प्रबन्धन

6	गांव स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बहाल करना	स्वास्थ्य विभाग
7	आईसीडीएस सेवाओं को पुर्नस्थापित करना, बच्चों के लिए दोपहर का भोजन शुरू करना तथा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की देखभाल करना	महिला एवं बाल विकास विभाग
8	बाढ़ राहत के लिए प्रभावित परिवारों को सरकारी मानकों के अनुसार सूखा राशन और ईंधन की व्यवस्था करना	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
9	प्रभावित परिवारों की आवश्यकताओं और प्रभावी राहत के लिए निजी दाताओं और गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना	जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण एवं जिला परिषद
10	तहसीलदारों और पटवारियों की सहायता से क्षति का आंकलन करना	जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण, जिला प्रशासन और जिला परिषद

जोखिम विश्लेषण

प्रमुख कार्य	किये जाने वाले कार्य	जिम्मेदार विभाग/ प्राधिकरण/एजेंसियाँ
जोखिम विश्लेषण	1 जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की गाईडलाईन के अनुसार बाढ़ के दृष्टि से संवेदनशील सभी क्षेत्रों की मैपिंग करना। 2 ग्राम स्तर पर बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का जोखिम विश्लेषण करना। 3. यह सुनिश्चित करना कि ग्राम स्तर पर जोखिम का विश्लेषण पंचायती राज संस्थान के निर्वाचित सदस्यों और ग्राम पंचायत सचिव के नेतृत्व में हो।	1. पंचायती राज विभाग 2. ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य 3. ग्राम पंचायत सचिव

टास्क फोर्स का गठन

टास्क फोर्स का गठन	1. सामुदायिक टास्क फोर्स का गठन सुनिश्चित करना। 2 टास्क फोर्स के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन करना। 3. टास्क फोर्स द्वारा बाढ़ प्रतिक्रिया और प्रबंधन पर जागरूकता सत्र का संचालन करना।	1. पंचायती राज विभाग 2 ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य 3. ग्राम पंचायत सचिव 4. समुदाय आधारित संगठन (स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक समूह, युवा समूह) 5. फ्रंटलाइन कार्यकर्ता

राशन की पूर्व व्यवस्था/भण्डारण

राशन की पूर्व व्यवस्था/भण्डारण	1. जिला मुख्यालय पर तैयार भोजन, सूखे भोजन का पर्याप्त भंडारण और पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करना।	1. खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग 2. जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी

आश्रय स्थल का चयन और सामाग्री का पूर्व चयन

आश्रय स्थल का चयन और सामग्री का पूर्व स्थापन	1. समन्वय कक्ष जिला मुख्यालय पर तिरपाल का संग्रहण सुनिश्चित करना। 2. अस्थायी शिविरों की स्थापना के लिए पर्याप्त जल और स्वच्छता वाले स्थानों की पहचान करना।	1. राजस्व विभाग 2. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

स्वाथ्य सुविधा एवं स्वच्छता

स्वास्थ्य सुविधा एवं स्वच्छता	1. मानक के अनुसार आवश्यक दवाइयों एवं क्लोरीन की गोली का पीएचसी एवं सीएचसी स्तर पर पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करना।	1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग 2. मुख्य चिकित्साधिकारी
	2. यह सुनिश्चित करना कि बाढ़ प्रतिक्रिया में स्वास्थ्य देखभाल पर सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित सभी कर्मचारी प्रशिक्षित हों।	

बचाव की तैयारी

बचाव की तैयारी	1. पर्याप्त संख्या में नावों और प्रशिक्षित नाविकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	1. राजस्व विभाग 2. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)

समन्वय

समन्वय	1. तैयारी और प्रतिक्रिया योजना की समीक्षा करने के लिए प्री–मानसून जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक का आयोजन करना। 2. जिला और ब्लॉक स्तर पर नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त उपकरण और मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	1. राजस्व विभाग 2. गृह और गोपन विभाग (पुलिस) 3. कृषि विभाग 4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग 5. सिंचाई विभाग 6. पशुपालन विभाग 7. जल निगम 8. खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग 9. शिक्षा विभाग 10. पंचायती राज/ग्रामीण विकास विभाग 11. अग्निशमन विभाग 12. महिला एवं बाल विकास विभाग

सिंचाई विभाग

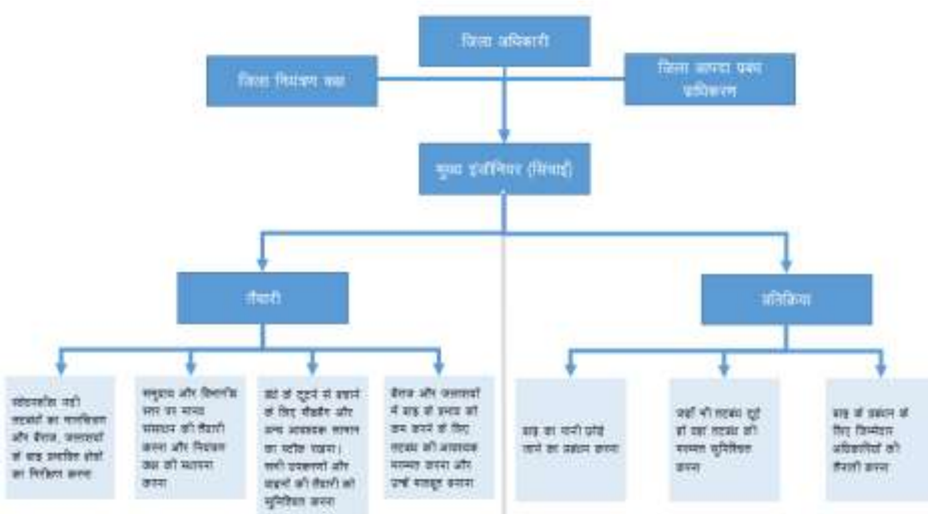

कृषि विभाग

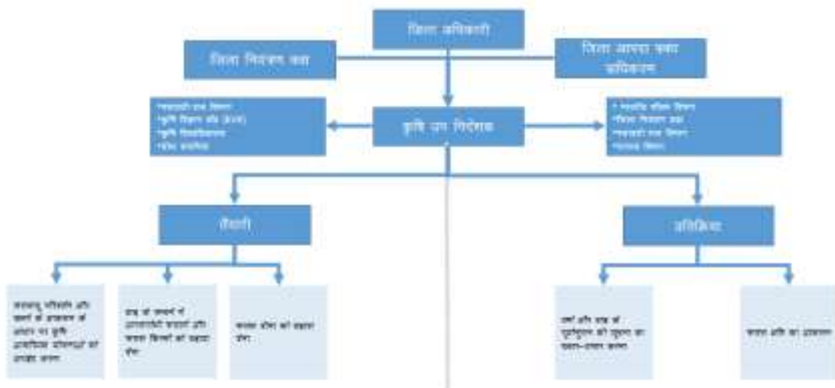

आपदा जोखिम

$$\text{आपदा जोखिम} = \frac{\text{खतरा X संवेदनशीलता}}{\text{क्षमता विकास}}$$

बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण संभावित प्रशासनिक चुनौतियां

- बाढ़ तैयारी योजना का निर्माण
- बाढ़ प्रतिक्रिया योजना का निर्माण– प्रत्येक विभाग के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, जिम्मेदारी और समन्वय तंत्र का उल्लेख होना चाहिए।

बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण संभावित प्रशासनिक चुनौतियां (स्थानीय निकाय स्तर पर)

- निम्नलिखित पर चर्चा
- क्या करें, क्या न करें
- वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाएं, बच्चो व शारीरिक रूप से अक्षम लोगो की आवश्यकता हेतु सामुदायिक सहयोग
- जल जनित रोगों से बचाव के लिए स्वच्छता उपाय
- परिवार स्तर पर सुरक्षा किट
- टास्क फोर्स का गठन
- पूर्व चेतावनी
- सुरक्षित निकासी

- खोज एवं बचाव
- प्राथमिक चिकित्सा
- आश्रय प्रबन्धन
- मवेशियों का सुरक्षित निकास
- मॉक ड्रिल

57

जोखिम कहाँ है?

- स्थानीय समुदाय को अनेक बार यह जानकारियां रहती हैं कि जोखिम कहाँ है, इससे प्रभावित कौन होगा और जोखिम का समाधान क्या है?
- स्थानीय समुदाय जोखिम के प्रभाव और संभावना को कम करने की क्षमता रखता है
- दृढ़ संकल्प एवं योजना बनाकर समुदाय की क्षमता बढ़ाई जा सकती है जिससे कि समुदाय जोखिम का मुकाबला कर सके।

58

जोखिम

- स्थानीय समुदाय को जानकारी होगी कि जोखिम कहां है
- जोखिम से प्रभावित कौन होगा
- जोखिम का प्रभाव व संभावना को कम करना

59

- क्षमता एक समुदाय, समाज या संगठन के भीतर उपलब्ध सभी शक्तियों और संसाधनों का संयोजन है। जो जोखिम के स्तर या आपदा के प्रभावों को कम कर सकता है।
- क्षमता में भौतिक, सांस्थानिक, सामाजिक या आर्थिक साधन और कुशल कार्मिक या सामूहिक गुण जैसे 'नेतृत्व' और 'प्रबंधन' शामिल हो सकते हैं।
- क्षमता का विवरण सामर्थ्य के रूप में दिया जा सकता है।

60

- जोखिम प्रबंधन के लिये नीति
- खतरा विश्लेषण और असुरक्षा सहित जोखिम का आकलन
- जोखिम के प्रति जागरूकता और जोखिम कम करने के लिये योजनाएँ तैयार करना
- योजना का क्रियान्वयन
- शीघ्र चेतावनी प्रणालियाँ
- ज्ञान का प्रयोग

61

- GPDP गाइडलाइन्स में यह उल्लेख किया गया है की ग्राम पंचायत सामाजिक गतिशीलता प्रक्रिया के उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है।
- और आपदा को कम करने के प्रयासों में आधुनिक तरीकों के पूरक के रूप में स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का दोहन कर सकता है।
- इसके अनुसार समुदायों को अपनी अल्पकालिक और दीर्घकालिक आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
- जिसके लिए ग्राम पंचायत को समुदाय के क्षमता निर्माण में नेतृत्व प्रदान करने की आवश्यकता है।

62

If you want to face any challenge, you must learn new skills but if you want how to learn you must watch a film-

"You will soon get the hang of it"

available on youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=bDglCJs_4qw

Umesh Chandra Joshi

National Facilitator, Leadership Skill Development Programme
Master Trainer, DoPT, Govt. of India

Contact No: 9335588727

E-mail : joshiumesh2013@gmail.com
joshiumesh56@yahoo.com